कार्यालय जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान–फतेहपुर

विज्ञप्ति

विशिष्ट बी0टी0सी0 प्रशिक्षण 2008 (विशेष चयन) के संदर्भ मे निर्गत शासनादेश एवं माननीय उच्च न्यायालय के विभिन्न आदेशों के अनुपालन में जनपद फतेहपुर हेतु निर्धारित सीटों के सापेक्ष तृतीय अनन्तिम चयन सूची जो LiSt Of Candidates For Verification Of Original Documents है, निर्गत कर दी गयी है। सम्बन्धित सूची एवं कट आफ मेरिट का विवरण संस्थान/जिला विद्यालय निरीक्षक/जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय के सूचनापट्ट पर चस्पा है। अनन्तिम चयन सूची वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। अभ्यर्थी Website-http:// fatehpur.nic.in पर बने Link "LiSt Of Candidates For Verification Of Original Documents" अनन्तिम चयन सूची पर क्लिक करके अपना नाम देख सकते हैं। सूची से सम्बन्धित अभ्यर्थी 10 रूपये के नान जुडिशियल स्टैम्प पेपर पर अपने रंगीन फोटो (जो नोटरी से प्रमाणित हो) के साथ निर्धारित प्रारूप पर शपथ पत्र एवं अपने समस्त मूल शैक्षिक अंक पत्र व प्रमाण पत्र, जाति आरक्षण/विशेष आरक्षण/शिक्षा मित्र सम्बन्धी प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र तथा उनकी दो सेट स्वहस्ताक्षरित छायाप्रति एवं पासपोर्ट साइज के दो नवीनतम फोटोग्राफ, दो फाइल कवर व टैग के साथ दिनांक 26/06/2009 एवं 27/06/2009 को प्रातः 10:00 बजे संस्थान मे उपस्थित हों।

तृतीय अनन्तिम चयन सूची की कट आफ मेरिट का विवरण

(विशिष्ट बी0टी0सी0 प्रशिक्षण 2008 (विशेष चयन) अनुसूचित जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग)

श्रेणी	शिक्षा मित्रों से भिन्न				शिक्षा मित्र	
	महिला		पुरुष		पुरुष	महिला
	कला	विज्ञान	कला	विज्ञान		
अनु. जाति	208.78	–	221.67	204.90	–	–
अनु. जनजाति	निल	निल	–	–	–	–
पिछड़ी जाति	246.90	225.23	249.22	247.88	227.98	–
विशेष आरक्षण	शिक्षा मित्रों से भिन्न (अनुसूचित जाति)				शिक्षा मित्र से भिन्न (अन्य पिछड़ा वर्ग)	
	महिला		पुरुष		महिला	पुरुष
विकलांग चलन किया	–		228.22		–	–
विकलांग श्रवण बाधित	–		213.67		–	–

नोटः–

1–जारी की गयी अनन्तिम चयन सूची किसी भी रूप में अन्तिम चयन सूची नहीं है। यह मूल प्रमाण पत्रों को जमा करने हेतु आमंत्रित किये जाने वाले अभ्यर्थियों की सूची है।

3– यदि अभ्यर्थी निर्धारित तिथि को संस्थान में उपस्थित नहीं होते हैं तो भविष्य में उनके अभ्यर्थन के प्रति विचार नहीं किया जायेगा और इसके लिये वे स्वयं उत्तरदायी होंगे तथा उनका अभ्यर्थन निरस्त करते हुये वरीयता क्रम में अगले अर्ह अभ्यर्थी के अभ्यर्थन पर विचार किया जायेगा तथा भविष्य में उनके किसी दावे को स्वीकार नहीं किया जायेगा।

4– जारी की गयी अनन्तिम चयन सूची मा0 उच्च न्यायालय/उच्चतम न्यायालय के आदेश एवं किसी भी लिपिकीय त्रुटि के संधान के अधीन होगी।

प्राचार्य
जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान
जनपद–फतेहपुर